फैक्स

सेवा में:– होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।

प्रेषक :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्याः– एस0एम0सी0–सरा0कार्य/2022 दिनॉकः नवम्बर 04, 2022

:: सराहनीय कार्य ::

थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा 12 घण्टे के अन्दर शत प्रतिशत बरामदगी के साथ चोरी के अभियोग का सफल अनावण। 01 चोर अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से चोरी किया गया 01 पर्स जिसमें 01 मोबाईल, 03 अंगूठियां, 02 एटीएम कार्ड व नकद 01 लाख 65 हजार रुपये तथा घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 03.11.2022 को वादी द्वारा थाना मन्सूरपुर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि फरीदाबाद से देहरादून जाते समय मिडवे रेस्टोरेन्ट पर चाय पीने के लिए रुकते समय वादी की पत्नी गाड़ी लॉक करना भूल गई थी। गाड़ी में वादी की पत्नी का पर्स जिसमें 01 लाख 65 हजार रुपये नकद, 03 अंगूठिया व 01 मोबाइल फोन व 02 एटीएम कार्ड रखे थे, गाड़ी में ही रखा था। वादी की गाड़ी के बराबर में खड़ी टैक्सी गाड़ी के ड्राईवर द्वारा वादी की गाड़ी से पर्स चोरी करने की घटना कारित की गयी है। वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 298/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर अभियोग के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित टीम गठित की गयी थी।

दिनांक 04.11.2022 को जनपद मुजफ्फरनगर में शातिर चोर/लुटेरे अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी खतौली के निकट पर्यवेक्षण तथा प्र0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावत थाना मन्सूरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मन्सूरपुर पर नियुक्त व0उ0नि0 श्री विनय शर्मा मय उ0नि0 राकेश गौतम मय हमराहीगण का0 1025 सचिन मोरल, का0 2017 प्रदीप कुमार के सुरागरसी पतारसी करते हुए शाहपुर तिराहे पर पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सुबह के समय जिस गाडी के ड्राईवर द्वारा मिडवे से 01 खडी गाडी से पर्स चोरी किया था, वहीं ड्राईवर खतौली की तरफ से मुजफ्फरनगर की तरफ आ रहा है। सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा शाहपुर तिराहे पर बैरियर लगाकर चैकिंग करने लगे, कुछ देर बाद 01 सफेद रंग की स्विफट डिजायर कार आती दिखाई दी, जिसे मुखबिर द्वारा बताया गया कि ये वही है। पुलिस टीम द्वारा बैरियर लगाकर गाडी को रोक लिया गया। गाडी के ड्राईवर को गाडी से उतारकर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अरविन्द कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम लहबोली थाना मंगलौर, उत्तराखण्ड बताया। अभियुक्त के कब्जे से 01 पर्स जिसमें 01 लाख 65 हजार रुपये नकद, 01 मोबाईल, 02 एटीएम कार्ड, 02 अंगूठी पीली धातु, 01 अंगूठी व 01 अंगूठी चमकीले नग की पीली धातु, 01 स्विपट कार नं0 यूके 08टीए 7891 बरामद किया गया। अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 298/22 की विवेचना में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. अरविन्द कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम लहबोली थाना मंगलौर, उत्तराखण्ड।

बरामदगी का विवरणः–

- 01 पर्स जिसमें 01 लाख 65 हजार रुपये नकद, 01 मोबाईल , 02 एटीएम कार्ड , 02 अंगूठी पीली धातु , 01 अंगूठी व 01 अंगूठी चमकीले नग की पीली धातु (मु0अ0सं0 298/22 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित)
- 01 स्विफ्ट कार नं0 यूके 08टीए 7891 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1. व0उ0नि0 श्री विनय शर्मा थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर।
2. उ0नि0 श्री राकेश गौतम थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर।
3. का0 1025 सचिन मोरल, थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर।
4. का0 2017 प्रदीप कुमार, थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर।

नोटः– गिरफ्तार अभियुक्त थाना मन्सूरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 298/22 धारा 379 भदवि में वांछित है। अभियुक्त द्वारा घटना किए जाने का जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।

वरिष्ठ पलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर।